

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2024/139616/ETA/ETAH/765/CFO

दिनांक : 15-12-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स RATHI PUBLIC SCHOOL पता GATA NO-450, 1 VILL- LAKHAMIPUR, JALESAR TO SIKANDRAO ROAD, ETAH तहसील - JALESAR प्लॉट एरिया 10680 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 2492.40 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
RATHI PUBLIC SCHOOL	2	0	7.20 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स RATHI PUBLIC SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 18-12-2024 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री UDIT RATHI के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 18-12-2024 से 18-12-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स RATHI PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स RATHI PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : -During the inspection it was found that the building is constructed on Ground floor And first floor School is operated on it. 2-According to CLAUSE 26(5) OF UTTAR PRADESH FIRE AND EMERGENCY SERVICES ACT 2022, it is the responsibility of the building owner to maintain the fire fighting arrangements in his building and tested in 3 months, 6 months and annually and submit its operational certificate to the fire service cfo office etah, every 06 month JANUARY and JULY if fire fighting operational certificate not submitted FIRE NOC shall REJECTED.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा

| यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 18-12-2024
स्थान : ETAH



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

PRASHANT SINGH RANA

C432103B5892F26D3222DAA4E0B07E53186D7FAF

18-12-2024

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.